न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी श्री हनुमान सहाय मीना, आई.ए.एस

अपील संख्याः 94/2014 एल.आर.एक्ट

महेन्द्रकौर पत्नी स्व. मोहनसिंह जाति ब्राह्मण सिख निवासी चक–6 पी.एस.डी. तहसील घड़साना जिला श्रीगंगानगर।

अपीलांट्

बनाम

1. चरणजीतसिंह पुत्र दर्शनसिंह जाति छींपा निवासी सादुलशहर तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार(राजस्व), घड़साना जिला गंगानगर।

रेस्पोन्डेंटान

उपस्थितः	श्री नायबसिंह	अभिभाषक अपीलांट
	श्री सत्यपाल सहू	अभिभाषक रेस्पो. नं. 1

निर्णय

दिनांक 08–01–2020

1. यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, घड़साना द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआर एक्ट में पारित किये गये निर्णय दिनांक 27–07–2012 के विरुध्द प्रस्तुत हुई है ।
2. अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी के पति को चक 6 पी.एस.डी. के मु.नं. 153/6 का किला नं. 5,6,14 ता 18, 22 ता 25 की 11 बीघा का पुख्ता आवंटन दिनांक 28.11.1975 को व इसी मु.नं. 153/6 की 1.03 बीघा भूमि स्माल पेच में दिनांक 10.9.93 को आवंटित हुई । उक्त भूमि की तमाम किश्ते जमा होकर खातेदारी सनद मिल चुकी है। अपीलार्थी के पति को जब उक्त भूमि वर्ष 1975 में आवंटन हो चुकी थी, तब मु.नं. 153/6 के कि.न. 5 की 10 बिस्वा, 6 की 6 बिस्वा, 14 की 10 बिस्वा 18 की 10 बिस्वा 22 की 12 बिस्वा, 23 की 2 बिस्वा रेस्पोडेंट के पिता को 1985 में कैसे आवंटित हुई। इसे स्पष्ट नहीं किया गया, ना ही निर्णय में इस पर कोई ध्यान दिया गया है। जमाबन्दी में हुई एन्ट्री को धारा 136 एलआर एक्ट के तहत दुरूस्त नहीं किया जा सकता था। रेस्पोडेंट सं01 अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष यह सिध्द नहीं कर सका कि विवादित भूमि अपीलार्थी के पति के नाम गलत दर्ज हुई है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 27.7.12 निरस्त फरमाया जावे ।
3. उक्त अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोन्डेंट्स एवं अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब किया गया । उभय पक्ष के अभिभाषकगण बहस सुनी गयी ।
4. अपीलांट के विद्वान अभिभाषक ने अपील मिमो के बिन्दुओं को दोहराते हुऐ बहस में बताया कि अपीलार्थी के पति को चक 6 पी.एस.डी. के मु.नं. 153/6 में 11 बीघा का पुख्ता आवंटन दिनांक 28.11.1975 को व इसी मु.नं. 153/6 की 1.03 बीघा भूमि स्माल पेच में दिनांक 10.9.93 को आवंटित हुई । उक्त तमाम भूमि की किश्ते जमा होकर खातेदारी सनद मिल चुकी है। अपीलार्थी के पति को जब उक्त भूमि 1975 में आवंटन हो चुकी थी, तब मु.नं. 153/6 के कि.न. 5 की 10 बिस्वा, 6 की 6 बिस्वा, 14 की 10 बिस्वा 18 की 10 बिस्वा 22 की 12 बिस्वा, 23 की 2 बिस्वा

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

रेस्पोडेंट के पिता को 1985 में कैसे आवंटित हुई। जमाबन्दी में हुई एन्ट्री को धारा 136 एलआर एक्ट के तहत दुरूस्त नहीं किया जा सकता था। रेस्पोडेंट नं. 1 द्वारा जो 136 लैण्ड रेवेन्यु एक्ट का प्रार्थना पत्र पेश किया गया है वह चलने योग्य नहीं था, फिर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोन्डेंट सं01 की अपील आंशिक स्वीकार की गयी है । अतः अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त फरमाया जावें।

5. रेस्पोडेंट नं 1 के विद्वान अभिभाषक ने बहस करते हुऐ कहा कि रेस्पोडेंट के पिता श्री दर्शनसिंह को चक 6 पी.एस.डी. 'ए' के मुं.नं. 153/51 में 17 बिस्वा मु.नं. 153/13 की 4 बीघा 7 बिस्वा और 6 पी.एस.डी. 'बी' की मु.नं. 153/06 की 3 बीघा 7 बिस्वा इस प्रकार तीनों मुरब्बो में कुल 28 बीघा 11 बिस्वा कमाण्ड/अनकमाण्ड भूमि दिनांक 4.7.1985 को आवंटन हुई थी तथा सेल रजिस्टर में खाता खोला जाकर खजानाराज में किस्ते जमा करवाई गई थी लेकिन उपनिवेशन विभाग से आये राजस्व विभाग में जमाबन्दी तैयार किये जाने के दौरान रेस्पोडेंट के पिता की उक्त भूमि में से चक 6 पी.एस.डी. 'बी' के मु.नं. 153/06 के किला नं 5 की 10 बिस्वा, 6 की 6 बिस्वा, 7 की 10 बिस्वा, 13 की 5 बिस्वा, 14 की 10 बिस्वा, 18 की 10 बिस्वा, 19 की 2 बिस्वा, 22 की 12 बिस्वा, 23 की 2 बिस्वा कुल 3 बिघा 7 बिस्वा कृषि भूमि को सहवन से रेस्पोडेंट के पिता का नाम हटाकर किसी अन्य व्यक्ति के नाम बिना किसी आदेश के दर्ज राजस्व रिकार्ड कर दी गई। दोनों मूल आवंटन पत्रावलियों के अवलोकन से स्पष्ट है कि चक 6 पी. एस.डी. 'बी' के मु.नं. 153/06 के किला नं. 7 की 10 बिस्वा,13 की 5 बिस्वा, 19 की 2 बिस्वा कुल 17 बिस्वा भूमि रेस्पोडेंट के पिता दर्शनसिंह को वर्ष 1985 में आवंटन है यह 17 बिस्वा भूमि अपीलांट के पति मोहनसिंह को वर्ष 1975 में आंवटन नहीं हुई थी तथा रेस्पोडेंट के पिता दर्शनसिंह को आवंटित भूमि का आवंटन आज तक निरस्त नहीं हुआ है। इसी आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है । अतः अपील अपीलांट खारिज फरमाया जावें।

6. हमने उभय पक्ष की बहस पर मनन किया तथा उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। प्रकरण अनुसार अपीलार्थी महेन्द्रकौर के पति मोहनसिंह के नाम तहसील घड़साना के चक 6 पीएसडी ''बी'' के मु0नं0 153/06 के कि0नं0 5,6,14 ता 18, 22 ता 25 की 11 बीघा भूमि वर्ष 1974 में आवंटन हुई । तत्पश्चात दिनांक 4.7.85 को रेस्पोन्डेंट सं01 के पिता दर्शनसिंह के नाम तहसील घड़साना के चक 6पीएसडी''ए'' के मु0नं0 153/51, 153/13 एवं चक 6पीएसडी ''बी'' के मु0नं0 153/06 तीन मुरब्बों में कुल 28 बीघा 11 बिस्वा कमण्ड/अ0क0 कृषि भूमि आवंटित हुई थी । रेस्पोन्डेंट सं01 ने 31.5.11 को उपखण्ड अधिकारी, घड़सना के समक्ष धारा 136 का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी के पिता के नाम की उक्त भूमि में से चक 6 पीएसडीबी के मु0नं0 153/6 के किला नं0 5 की 10 बिस्वा, 6 की 6 बिस्वा, 7 की 10 बिस्वा, 13 बी 5 बिस्वा, 14 की 10 बिस्वा, 18 की 10 बिस्वा, 19 की 2 बिस्वा, 22 की 12 बिस्वा, 23 की 2 बिस्वा कुल 3 बीघा 7 बिस्वा कृषि भूमि को सहवन से प्रार्थी के पिता का नाम हटाकर किसी अन्य व्यक्ति का नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कर दी गयी । उक्त 3 बीघा 7 बिस्वा का अंकन सहवन से गलत दर्ज हुआ है । अतः राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी में दुरुस्ति कर प्रार्थी के पिता का नाम दर्ज किए जाने के आदेश प्रदान करें । उक्त प्रार्थना पत्र पर अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोन्डेंट सं01 का प्रार्थना पत्र आंशिक स्वीकार करते हुए चक 6पीएसडीबी के मु0नं0 153/6 के किला नं07 की 10 बिस्वा, 13 की 5 बिस्वा, 19 की 2 बिस्वा कुल 17 बिस्वा भूमि के राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी में अपीलान्ट महेन्द्रकौर के पति मोहनसिंह का नाम हटाकर रेस्पोन्डेंट सं01 के पिता के नाम दर्ज करने के आदेश दिये गये, जिससे व्यथित होकर यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है ।

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

7. जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर द्वारा जारी सनद सं0 048672 दिनांक 6.12.93 एवं सनद सं0 1838 दिनांक 21.4.06 के अनुसार अपीलान्ट के पति मोहनसिंह के नाम चक 6 पीएसडीबी के मु0नं0 153/6 के किला नं0 5, 6, 7, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25 की कुल 9 बीघा 18 बिस्वा एवं इसी मुरब्बा के किला नं0 5, 14, 15, 17, 18, 22, 23 में कुल 0.290 हैक्टेयर स्माल पेच की सनद जारी शुदा है ।

8. अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश अनुसार रेस्पोन्डेंट सं01 का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 में आंशिक स्वीकार करते हुए चक 6पीएसडीवी के मु0नं0 153/6 के किला नं07 की 10 बिस्वा, 13 की 5 बिस्वा, 19 की 2 बिस्वा कुल 17 बिस्वा भूमि के राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी में अपीलान्ट महेन्द्रकौर के पति मोहनसिंह का नाम हटाकर रेस्पोन्डेंट सं01 के पिता दर्शनसिंह के नाम दर्ज करने के आदेश दिये गये हैं। जबकि वर्ष 1995 में धारा 136 के संशोधन के बाद इस धारा के अधीन केवल लिपिकीय त्रुटि या जहां पक्षकार किसी त्रुटि के लिए सहमत हों, ही ठीक किया जा सकता है । अर्थात इस धारा के अन्तर्गत केवल लिपिकीय त्रुटि अथवा कतिपय स्वीकार की गयी गलितियां जो राजस्व अभिलेख में आगाई हों, को संशोधित किया जा सकता है । परन्तु विवादित आराजी के खातेदार टीनेंट को इस धारा के अधीन खातेदार घोषित नहीं किया जा सकता है ।

9. प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश इस आधार पर पारित किया गया है कि रेस्पोन्डेंट सं0 1 नाम की उक्त भूमि में से चक 6 पीएसडीबी के मु0नं0 153/6 के किला नं0 5 की 10 बिस्वा, 6 की 6 बिस्वा, 7 की 10 बिस्वा, 13 बी 5 बिस्वा, 14 की 10 बिस्वा, 18 की 10 बिस्वा, 19 की 2 बिस्वा, 22 की 12 बिस्वा, 23 की 2 बिस्वा कुल 3 बीघा 7 बिस्वा कृषि भूमि के राजस्व रिकॉर्ड रेस्पोन्डेंट के पिता दर्शनसिंह का नाम बिना किसी आदेश से हटाया गया, कथन उचित प्रतीत नहीं होता है क्योंकि अपीलान्टा महेन्द्रकौर द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र के अनुसार इसी बिन्दु पर रेस्पोडेंट के पिता दर्शनसिंह द्वारा तत्कालीन आवंटन अधिकारी, छत्तरगढ के न्यायालय में एक वाद दर्शनसिंह बनाम मोहनसिंह दायर किया गया, जिसे निरस्त किया जाकर अपीलांट के पक्ष में निर्णय पारित किया गया। हमने पत्रावलियों में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया इस मामले में विस्तृत जांच की आवश्यकता प्रतीत होती है। प्रकरण रिमाण्ड किये जाने योग्य है।

10. उपरोक्त विवेचन के अनुसार अपील अपीलांट्स आंशिक स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, घड़साना का अपीलाधीन आदेश दिनांक 27–07–2012 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण उपखण्ड अधिकारी, घड़साना को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि उभय पक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का समचित अवसर प्रदान कर विस्तृत जांच के पश्चात धारा 136 के प्रार्थना पत्र पर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

11. तद्नुसार अपील अपीलान्ट निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय की प्रति पत्रावली में शामिल की जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 8.1.2020 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हनुमान सहाय मीना)
सम्भागीय आयुक्त
बीकानेर